राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: डीईएस/स्टोर/अनु.सामान नीलामी/20/2010/2340 दिनांक: 25/04/2018

**नीलामी सूचना क्रमांक ए0 6/2018–19/01**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा अनुपयोगी एवं नकारा सामान जिसमें लोहे व लकडीं (छोटी–बडी) आलमारी, डेजर्ट कूलर, कुर्सी, लोहा एवं लकडी, विभिन्न प्रकार की लकडी एवं लोहे की टेबलें, रेक्स (छोटी–बडी) लोहा एवं लकडी, स्टेबलाईजर्स, फेक्स मशीनें, विण्डों ए.सी., रिजोग्राफ मशीन, वेक्यूम क्लीनर, छत एवं दीवार पंखें, एग्जॉस्ट फेन, ट्यूबलाईट्स पटिटयां, ब्रीफकेस एवं फोटो स्टेट मशीनें इत्यादि जिनका पुस्तक मूल्य रू0 2858708.82( अक्षरे रूपयें अठाईस लाख अठावन हजार सात सौ आठ पैसा बयासी मात्र) है, की नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में दरें दिनांक **16.05.2018** को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दोपहर 12.30 बजे खोली जायेंगी। बिड प्रप्त्र दिनांक 01.05.2018 से 15.05.2018 तक कार्यालय समय में रोकड. शाखा से बिड प्रपत्र शुल्क रू. 400/– नकद जमा करवा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त सामान का निरीक्षण कार्यालय समय में निविदादाता द्वारा किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है। निविदादाता को **अमानत राशि रू0 58000/– (अक्षरे रूपये अठावन हजार मात्र) जमा करानी होगी।** अमानत राशि जमा नहीं कराने वाले व्यक्ति/फर्म नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे। सामान "जहां है जैसा है" के आधार पर नीलाम किया जायेगा एवं सफल बोली दाता को बोली समाप्ती के पश्चात बोली राशि की एक चौथाई राशि तुरन्त जमा करानी होगी एवं शेष राशि तीन दिवस में जमा करवाकर सामान उठाना होगा। **सम्पूर्ण राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देय होगा।** शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाने पर समस्त जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा व समिति को बिना कारण बताये नीलामी रदद् करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(डॉ0 ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव